

30/09/24

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये

30/09/24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार द्वारा पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमति दी गई। वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अंवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 28/3 व 28/6 के चारों तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कमिश्नर एवं पट्टेदार
उपखण्ड अधिकारी, बाली
तहसील, जिला - पल्लार (म.प्र.)